न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023/308 दर्ज तिथिः–04.09.2023

1. पदमाराम पुत्र विशनाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 केशी पत्नी पदमाराम
   1/2 गोगाराम पुत्र पदमाराम
   1/3 प्रकाशराम पुत्र पदमाराम
   1/4 हनुमानराम पुत्र पदमाराम
   जाति जाट निवासी छोटू तहसील नोखडा

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार नोखडा

..........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री भाखराराम गोदारा
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - मूल खसरा संख्या 430 रकबा 92 बीघा मौजा छोटू तहसील नोखड़ा में अवस्थित रहा। उक्त आराजी का दिनांक 30.07.2020 को तहसीलदार गुड़ामालानी से आपसी सहमति से विभाजन करवाया। उक्त सहमति से विभाजन का नामांतरकरण संख्या 1069 दिनांक 17.08.2020 दर्ज किया जाकर प्रार्थी को खसरा संख्या 430/4 व 430/2 आवंटित किया गया।
   - कि प्रार्थी को आवंटित खसरा संख्या 430/4 का रकबा 18–04 बीघा के स्थान पर 14–07 बीघा दर्ज कर दिया। जबकि खसरा संख्या 430/2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:14 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 14—07 बीघा के स्थान पर 18—04 बीघा दर्ज कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी के दोनों खसरों के रकबे एक दूसरे के अदले—बदले गलत दर्ज कर दिये।

- अतः प्रार्थी को आवंटित खसरा संख्या 430 / 4 का रकबा 18—04 बीघा तथा खसरा संख्या 430 / 2 का रकबा 14—07 बीघा दर्ज करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1791 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी का रकबा दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1791 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   बाद पैमाईश व रिकॉर्ड के जांच करने पर पाया कि
   1. आराजी खसरा संख्या 430 / 2 का रकबा 2.3229 है0 के स्थान पर 2.9461 है0 है। जबकि खसरा संख्या 430 / 4 का रकबा 2.9461 है0 के स्थान पर 2.3229 है0 मौका रिकॉर्ड नक्शा अनुसार उचित दर्ज नहीं किया गया है।
   2. कि आराजी खसरा संख्या 430 / 2 का रकबा 2.9461 है0 तथा खसरा संख्या 430 / 4 का रकबा 2.3229 है0 मौके व रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

4. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1791 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1791 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी का रकबा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1791 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार आराजी का रकबा दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:14 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:57:14 IST
Reason: SelfAttested